आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 7 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 अप्रैल, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150वें वर्ष के समारोह पर

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उठाया जजों की कमी का मुद्दा

प्रधानमंत्री ने भी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का प्रस्तुत किया ब्यौरा

न्याय में हो रहे विलम्ब पर हुआ फिर मंथन

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 वर्ष पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रमों के समापन समारोह में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर ने देश की अदालतों में लम्बित मामलों और न्यायाधीशों की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि वह न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश सिर्फ पांच दिन अवकाश पीठ पर बैठे तो वह प्रतिदिन छोटे-मोटे 20-25 मामले निपटा लेगा और उसके इस त्याग से अदालत का बोझ काफी घटेगा।

न्यायमूर्ति खेहर ने कहा, 'हमें सलाह दी गई कि आप छोटे-छोटे मामलों जैसे जमानत, अग्रिम जमानत, किराए के मामले, दुर्घटना के दावे आदि 10-10 मामलों को एक-एक पीठ में लगाना शुरू करें। इस पर हर पीठ तकरीबन 10 मामले सुबह एक घंटे में खत्म कर लेगी।' उन्होंने कहा, 'मैं विचार कर रहा था कि अगर एक जज सिर्फ पांच दिन अवकाश के दौरान पीठ में बैठे और ऐसे मामले ले जिसमें बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है, तो हर जज एक सवा घंटे में 20-25 मामले निपटा लेगा।'

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के संदर्भ में उन्होंने कहा, 'एक दिन में एक जज 20 मामले निपटाता है तो पांच दिनों में सौ-सवा सौ मामले निपटा लेगा। अगर सभी 84-85 जज बैठें तो 20-30 हजार मामले निपटा सकते हैं। इसमें सबका सहयोग जरूरी होगा। यह त्याग केवल पांच दिन का है। आप मुख्य न्यायाधीश को बता सकते हैं कि आप किन विषयों में सहज हैं।' उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 31 जनवरी, 2017 तक 7 लाख मामले लम्बित थे, जबकि लखनऊ पीठ में करीब दो लाख मामले लम्बित हैं। इस हाई कोर्ट में 85 जज हैं, जबकि मंजूर पदों की संख्या 160 है।

न्यायमूर्ति खेहर ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट में तीन विशेष पीठें गठित की हैं जो लम्बित मामलों का बोझ घटाने के उद्देश्य के लिए अतिरिक्त घंटे काम करेंगी और अवकाश के दौरान बैठेंगी। अपने करीब 40 मिनट के भाषण में सीजेआई ने हिन्दी के शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परोक्ष संदर्भ में कहा, 'प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, जिनकी 'मन की बात' को देशभर के लोग सुनते हैं, मैं कुछ 'दिल की बात' करना चाहता हूं।'

बाद में मोदी ने अपने भाषण में इसी संदर्भ में बोला कि वह सीजेआई की 'दिल की बात' को 'मन से' सुन रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सामान्य जनों पर कानून का बोझ कम करने के लिए अभी तक करीब 1200 कानून खत्म कर चुकी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर से चल रहे कार्यक्रम में रविवार को समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, 'सरकारों ने कानून का जो जंजाल बनाया है, कानून का बोझ जो सामान्य जनों पर लादा गया है, प्रधान न्यायाधीश भी कहते हैं कि इस बोझ को कैसे कम किया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार के पांच साल पूरे भी नहीं हुए हैं और अब तक हम करीब करीब 1200 कानून खत्म कर चुके हैं।'

मोदी ने कहा, 'बदले हुए युग में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार ने भी आईसीटी के माध्यम से न्याय व्यवस्था का सरलीकरण करने और उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अदालतों में गुणात्मक बदलाव आएगा, तेजी आएगी।' उन्होंने कहा, 'तारीख लेने के लिए विवेक की जरूरत नहीं होती, मसले सुलझाने के लिए विवेक की जरूरत होती है। अदालत में आने के बजाय मोबाइल पर तारीख लेने की परम्परा क्यों न शुरू की जाए। इससे दूर-दराज में तैनात सरकारी अधिकारियों को अपने मामलों के सम्बन्ध में अदालतों में पेश होने के लिए नहीं आना पड़ेगा और वे अपना बहुमूल्य समय प्रशासनिक कार्यों को निपटाने में खर्च कर सकेंगे।' मोदी ने कहा, 'अगर वीडियो कांफ्रेंस से जेल और अदालत को हम जोड़ दें तो कितना समय बचा सकते हैं। कितना खर्च बचा सकते हैं। भारत सरकार का यह प्रयास है कि हमारी न्याय व्यवस्था को आईसीटी का भरपूर लाभ मिले।'

प्रधानमंत्री ने स्टार्ट-अप शुरू करने वाले नौजवानों से नए-नए प्रयोग कर न्याय व्यवस्था के लिए समाधान उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद की यह अदालत भारत के न्याय क्षेत्र का तीर्थ है और इस तीर्थ में इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप सबके बीच आकर सभी की बातें सुनकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की कुछ पंक्तियां पढ़ते हुए कहा, 'डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि कानून ऐसी चीज है जो लगातार बदलती रहती है। कानून लोगों के स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। पारंपरिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए। आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुकूल होना चाहिए।'

इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर, कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोंसले और अन्य हाई कोर्टों के न्यायाधीश उपस्थित थे।

||सत्यमेव जयते||

न्याय व्यवस्था में सुधार चाहता कौन है?

जिस समारोह में प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश हों तब विलम्बित न्याय को लेकर अपनी अपनी तरह से चिन्ता व्यक्त की जाती है। हमें स्मरण है कि कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ठाकुर तो विलम्ब के मसले को लेकर इतने भावुक हो गये थे कि उनकी आंखें नम हो गई। वास्तविक स्थिति यह है कि देश की अदालतों में लम्बित 3.5 करोड़ मुकदमों में 70 से 80 प्रतिशत मामलों में सरकार पक्षकार होती है और वो कभी नहीं चाहती कि मामले निपटें। जहां तक न्यायपालिका का प्रश्न है वह भी सरकार के प्रति कठोर कदम उठाने से परहेज करती है। सरकारी अधिकारी न्यायालय में झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं किन्तु न्यायालय उन पर मौन रहता है वहीं दूसरी ओर न्यायालय यदि कोई आदेश पारित भी कर देता है तो या तो उसकी अपील कर दी जाती है या फिर सरकार फैसले को स्वीकार नहीं करती। जब मामला न्यायालय आदेशों की अवज्ञा का प्रस्तुत होता है तो न्यायालय अवज्ञा के दोषी अधिकारियों को दंडित नहीं करता। सरकारी अधिकारी न्यायालय के स्थगन आदेशों का तो मजाक उड़ाते हैं और दंभ से कहते हैं कि क्या कभी किसी अधिकारी को जेल जाते सुना है?

अभी हाल ही में एक महिला के भूखण्ड पर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का आदेश एवं एकल पीठ के स्थगन आदेश के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण ने सड़क बना दी। महिला उच्च न्यायालय पहुंची, कई वर्षों तक तो नोटिस ही तामील नहीं हुए और जब 3-4 साल बाद नोटिस मिले और सरकारी अधिकारियों का जवाब न्यायालय में प्रस्तुत हुआ तो कोर्ट ने अवज्ञा प्रार्थना पत्र में तीन लाईन के आदेश में खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में पीड़ित कहां जायं? यदि न्यायपालिका की इच्छाशक्ति है तो झूठे शपथ पत्र और अवज्ञा पर कार्यवाही की जावे तो आधे मुकदमे तो वैसे ही समाप्त हो सकते हैं किन्तु समाप्त करना कौन चाहता है? इच्छाशक्ति न न्यायपालिका में है और न ही सरकार में।

सत्यमेव जयते।

सम्पादकीय ....

बच्चियों से दुष्कर्म पर तत्काल हो सजा

हमारे देश में पिछले काफी समय से छोटी-छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति भयावह होती जा रही है। प्रदेश में ही रोजाना 5-6 बच्चियों की यौवन शोषण की शिकायतें दर्ज हुई हैं जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि अभिभावक सब कुछ बर्दाश्त करते हुए उन घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से भी परहेज करते हैं। आज हर मां-बाप अपनी बच्चियों के प्रति एवं उनकी असुरक्षा को लेकर बहुत चिन्तित है। इन घटनाओं को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके 520 से ज्यादा प्रकरणों की तो अभी जांच तक नहीं की है। पिछले तीन सालों में 3 साल से 16 साल तक की 6 हजार बालिकाएं दुष्कर्म, दुष्कर्म का प्रयास एवं अश्लील हरकतों की पीड़ा झेल चुकी हैं।

एक ओर बालिग महिलाओं के ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें झूठे मुकदमे दर्ज कराकर बड़ी-बड़ी राशि मुकदमा न कराने की एवज में कोर्ट में बयान बदलने की एवज में ली जा रही है वहीं दूसरी ओर नाबालिग बच्चियों का मामला भी इन्हीं के साथ जोड़ दिया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि मामला सक्षम न्यायालय में चला जाता है और उसके फैसले में इतना विलम्ब होता है कि पीड़ित न्यायालय के चक्कर लगाते-लगाते ही अपराध से कई गुनी सजा भोग चुका होता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले दुष्कर्म की जांच तत्काल की जानी चाहिए एवं न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के पश्चात् उसकी प्रतिदिन सुनवाई कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के आदेश पारित होने चाहिए। जब तक दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही नहीं होगी तब तक न तो बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक लगेगी और ना ही दोषियों को समय पर सजा मिल सकेगी।

एन.जी.ओ. पर कई सख्त शर्तें लगेंगी?

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इन शर्तों की निर्देशिका प्रस्तुत की

नई दिल्ली। सरकार ने ऐसे सभी एनजीओ एवं वॉलेंटरी आर्गेनाइजेशन (वीओ) के लिए एक सख्त नियामक तंत्र का प्रस्ताव किया है। इस तंत्र के अंतर्गत भविष्य में यदि एनजीओ या स्वयंसेवी संगठन सरकार से अनुदान प्राप्त करना चाहता है तो उसे नए सिरे से पंजीकरण कराना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर इन संस्थाओं को अनुदान के रूप में दिए जाने वाले धन को नियंत्रित करने के लिए सरकार से इस मामले में ड्राफ्ट गाइडलाइन्स प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के संज्ञान में यह आने के बाद कि भारत में लगभग 30 लाख एनजीओ एवं वीओ कार्यरत हैं उसने इनको नियंत्रित करने के लिए एक समान दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया था। अपर महाधिवक्ता तुषार मेहता ने बुधवार को यथानिर्देशानुसार मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बैंच को दिशा-निर्देश का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि सभी एनजीओ एवं वीओ को सरकार के प्रमुख नीतिकार, नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ की गई एनजीओ दर्पण नामक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

कोर्ट ने न्याय मित्र अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से दो सप्ताह में दिशा-निर्देशों के ड्राफ्ट पर अपने सुझाव देने के लिए कहा है।

- **गाइडलाइन के अनुसार एनजीओ का पुराना रिकॉर्ड गहराई से आंका जाएगा, उसे सरकार का अनुदान प्राप्त करने के लिये पंजीकृत करने के लिये।**
- **एनजीओ को एक बॉण्ड भी भरना होगा कि, अगर उसने अनुदान प्राप्त करने के बाद, सरकार के संतोष लायक काम पूरा नहीं किया, तो उसे अनुदान की राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करनी होगी।**
- **सरकार की दुविधा यह है कि एनजीओ के कामकाज पर सख्ती तो करना चाहती है, पर एनजीओ को बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि एनजीओ द्वारा किया जा रहा समाज कल्याण का काम सरकारी संस्थाओं द्वारा किये काम से कहीं ज्यादा बेहतर पाया गया है।**

ईडी ने मारे देशभर में छापे

16 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर छापे में 300 फर्जी कंपनियों पर निशाना

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को देश भर में तीन सौ से ज्यादा फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे। छापेमारी देर रात तक जारी रही। इस दौरान बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए और सैंकड़ों करोड़ रुपए के लेन-देन का ब्यौरे मिले हैं। निदेशालय ने कोलकाता, दिल्ली, बंगलुरु, मुम्बई, चंडीगढ़, पटना, हैदराबाद, चेन्नई व कोच्चि समेत 16 राज्यों में छापे मारे। इनमें बरामद दस्तावेजों से पता चला है कि कई वरिष्ठ नेताओं और नौकरशाहों ने फर्जी कंपनियों की आड़ में हवाला के जरिए करोड़ों रुपए विदेश भेजे हैं।

देश भर में एक साथ छापों की कार्रवाई शुरू की गई। हैदराबाद में छापेमारी के दौरान एक कंपनी विश्वज्योति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड समेत कई अन्य कंपनियों की 3.04 करोड़ रुपए की संपदा जब्त की। इन कंपनियों के जरिए दक्षिण भारत के एक कद्दावर नेता का धनशोधन किया गया।

निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार, मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु और कोलकाता समेत विभिनन शहरों में कई बड़े व्यापारिक घरानों के खिलाफ छापेमारी की गई है। हवाला नेटवर्क के जरिए धन विदेश भेजने और विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के मामलों की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के तहत छापेमारी की गई। ईडी ने यादव सिंह से जुड़ी फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रह चुके हैं।

ईडी के निदेशक कर्नल सिंह ने एक निजी समाचार चैनल पर कहा कि हवाला कारोबारी और फर्जी कंपनियां काले धन को सफेद करने में रीढ़ की हड्डी होते हैं। कालेधन के इस खेल में जो भी शामिल पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ईडी के छापे में मुम्बई का एक कारोबारी गिरफ्त में आया है। यह ऑपरेटर 20 डमी निदेशकों की मदद से सात सौ फर्जी कंपनियां चला रहा था। इसने महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता के 46.7 करोड़ रुपए बदलने की बात स्वीकार की है।

बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के बाद सरकार ने ऑपरेशन ब्लैकमनी शुरू किया है। ईडी की टीमें उन फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो कालेधन को सफेद करने में लिप्त पाई गई हैं। ऐसी तीन सौ कंपनियां ईडी के निशाने पर हैं। बताते चलें कि देश में कालाधन रखने वालों को अपनी अघोषित संपत्ति को घोषित करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। केन्द्र सरकार ने 17 दिसम्बर, 2017 को काले कुबेरों को अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरूआत की थी। इसके तहत मौजूदा कालेधन को 31 मार्च तक सफेद करने का मौका दिया गया था। 31 मार्च के बाद कार्रवाई होने के बाद उन्हें 137 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा।

'ऑपरेशन ब्लैक मनी'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के बाद सरकार ने 'ऑपरेशन ब्लैकमनी' शुरू किया है। ईडी की टीमें उन फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, जो कालेधन को सफेद करने में लिप्त पाई गई हैं। ऐसी तीन सौ कंपनियां निदेशालय के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर सरकार द्वारा गठित विशेष कार्यबल ने इस सम्बन्ध में ईडी को इसके अधिकार दिए हैं।

क्यों निशाने पर हैं फर्जी कंपनियां

इनका गठन मामूली चुकता पूंजी के साथ किया जाता है। इनके पास काफी रकम रिजर्व के तौर पर होती है और इन कंपनियों का ज्यादातर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश होता है। इनका कामकाज भी कुछ ज्यादा नहीं होता, खर्च भी कम होता है और इसलिए अक्सर अवैध कार्यों के लिए इस तरह की कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है।

कुछ बड़ी मछलियां भी चपेट में

ईडी के छापे में मुम्बई का एक कारोबारी गिरफ्त में आया है। यह ऑपरेटर 20 डमी निदेशकों की मदद से सात सौ फर्जी कंपनियां चला रहा था। इसने महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता के 46.7 करोड़ रुपए बदलने की बात स्वीकार की है। ईडी ने यादव सिंह से जुड़ी फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रह चुके हैं।

फेमा व पीएमएलए के तहत छापे

यह कार्रवाई धनशोधन रोधी अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (पेमा) के तहत की गई ताकि कालेधन को सफेद करने और विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ईडी ने पिछले एक हफ्ते के दौरान इस तरह की कंपनियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

28 वर्ष पूर्व बना कानून किताबों तक ही सीमित

नई दिल्ली। बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट अर्थात् बेनामी वित्तीय लेन-देन (निषेध) अधिनियम सन् 1988 में लागू किया गया था, लेकिन इसमें निहित कुछ कमियों के कारण पिछले 28 वर्षों से यह नियम पुस्तिका में अक्रियाशील रूप में दर्ज रहा क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खामियां थीं। 2016 में इसमें कुछ संशोधन किए गए ताकि इसके तहत बेनामी सम्पत्तियों को जब्त किया जा सके।

वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में इस बात का खुलासा किया। वे गोवा से कांग्रेस सदस्य सीताराम नाईक के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इस विधेयक पर की गई कार्यवाहियों के बारे में विस्तार से बताते हुए गंगवार ने कहा कि यह संशोधित कानून 1 नवम्बर, 2016 से प्रभावी हो गया था।

उन्होंने कहा कि 1988 के इस एक्ट में यहां तक कि चार्ज शीट दाखिल करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने बताया कि संशोधन के बाद से तकरीबन 245 से ज्यादा बेनामी लेन-देनों का पता लगा लिया गया है तथा उनमें से करीब 200 करोड़ की 140 संपत्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा 124 मामलों में अस्थाई तौर पर जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो बेनामी सम्पत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें बैंकों में जमा धनराशि तथा अचल संपत्तियां भी शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि इस संशोधित कानून में बेनामी सम्पत्तियों की कुर्की तथा अधिग्रहण का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति बेनामी लेन-देन का दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक से सात वर्ष का कठोर कारावास तथा उस सम्पत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत तक दंड के रूप में लिए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने आगे बताया कि किसी भी प्रकार की झूठी सूचना देने का दोषी पाए जाने पर छह माह से लेकर पांच वर्ष तक का कठोर कारावास और दंड का प्रावधान भी इस संशोधित कानून में रखा गया है।

मर्यादा एवं उदारता के प्रतीक पुरुषोत्तम भगवान राम

डॉ. प्रेमसुख सुराणा N.D.
वरिष्ठ स्वाध्यायी योगाचार्य

इस कलयुग में रामयुग को उपस्थित करने की बात सुनता हूं और ऐसी बातें कहने वाले को देखता हूं तो मन में थोड़ी हंसी आती है क्योंकि रामयुग को उपस्थित करने की योजना बनाने वालों के पास भगवान राम जैसी मर्यादा कहाँ? स्वयं के वचनों का पालन करने के लिए राम जैसी तत्परता कहाँ? स्वयं के अधिकार को भी अपने भाईयों में बांटने जैसी भगवान राम की उदारता आज कहाँ?

आज का बड़ा भाई अपने छोटे भाईयों से अपने प्रति लक्ष्मण व भरत जैसा व्यवहार पाना चाहता है। परन्तु पहले वह स्वयं तो यह देखे कि क्या उसके पास स्वयं के अधिकार को स्वयं के छोटे भाईयों को देने के लिए राम जैसी उदारता व न्यायनिष्ठा है? भगवान राम के हृदय की विशालता की यह एक सच्ची कहानी है–

जब अयोध्या नगर–निवासियों को समाचार मिला कि अब महाराजा दशरथ राज्यभार भगवान रामजी को सौंप रहे हैं और स्वयं निवृत्त हो रहे हैं तो वे राजाधिराज दशरथ जी के इस निर्णय से परम प्रसन्न बन भगवान राम को बधाई देने उनके पास आने लगे। भगवान राम के मित्रवर्ग ने उनसे मिठाई मांगी। परन्तु भगवान राम उनके मुंह से बधाई व पिताजी के निर्णय सम्बन्धी बात को सुनकर प्रसन्न होने के बजाय उदास हो गये। वे आंखें बंद कर कुछ विचार करने लग गए। हृदय में उठते विचारों के उतार–चढ़ाव उनके चेहरे पर स्पष्ट अंकित होने लगे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो एक मित्र ने पूछा– इस प्रसन्नता के अवसर पर आपके चेहरे पर उदासीनता? कुछ समझ में नहीं आता इस उदासीनता का कारण? हम यह जानना चाहते हैं, कि आपके चेहरे पर ये उदासीनता की रेखाएं क्यों? इस समय तो अयोध्या नगर के प्रत्येक नर, नारी, बालक, वृद्ध तथा प्रौढ़ सभी जन हर्षित हैं, पुलकित हैं और आप उदास क्यों?

> *जिस प्रकार फूल चाहे वन में खिले या उपवन में, जल में खिले या थल में, परन्तु अगर उसमें सुवास व पराग है तो भंवरे व तितलियां उड़ते हुए स्वतः उसके पास पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार जिसके जीवन में ज्ञान व शील रूपी सुवास तथा पराग है तो उसके पास सज्जन रूपी भंवरे स्वतः पहुंच जाते हैं।*
>
> –**''प्रेम सुविचार''**

मित्र के इस प्रश्न को सुनकर एक गहरा निःश्वास लेने के बाद उदासीनता का कारण बतलाते हुए भगवान राम बोले–

विमल वंश यह अनुचित एकु।
बंधु विहाय बड़ेउ अभिषेकु।।

अर्थात्– मुझे इस विमल रघुवंश की हर एक रीति–नीति नियम पसंद है, परन्तु इस वंश की एक ही बात खटक रही है कि दूसरे सब छोटे भाईयों को छोड़कर केवल मुझे ही इस राज्य का ताज क्यों पहनाया जा रहा है? रघुवंश का यह नियम वैसा ही है जैसे कि सम्पूर्ण कलाओं से पूर्ण पूर्णिमा के उज्ज्वल धवल चन्द्रमा में एक काला धब्बा, जैसे कि शुद्ध सोने की थाली में लोहे की एक कील।

भाग्यशालियों! ऐसी थी भगवान राम की हार्दिक उदारता! अगर बड़े भाई का दिल अपने छोटे भाई के प्रति इतना उदार होगा तो छोटे भाई के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए क्यों न तैयार होंगे? आज क्या हम भी अपने छोटे भाईयों के प्रति भगवान राम जितने उदार हैं? हम उनसे तो अपने प्रति भरत और लक्ष्मण जैसा व्यवहार चाहते हैं परन्तु क्या हम भगवान राम हैं? हम भगवान राम तो बनते नहीं परन्तु छोटे भाईयों को लक्ष्मण और भरत के रूप में देखना चाहते हैं। यही हमारे जीवन की विसंगति है। जब तक हम ऐसी विसंगतियों को अपने जीवन से दूर न करेंगे, भगवान राम जैसे गुणों को अपने आत्मा व जीवन में ओत–प्रोत न करेंगे, तब तक रामराज्य की स्थापना मात्र एक मधुर सपने के समान होगी।

अतः अपने जीवन में भगवान राम की मर्यादा और पुरुषोत्तम भगवान राम बनने का लक्ष्य बनाकर जीवन सफल बनावें।

भगवान महावीर की जयन्ति पर विशेष

पाप और प्रायश्चित का ध्यान रखें

डॉ. प्रेमसुख सुराणा N.D.
वरिष्ठ स्वाध्यायी योगाचार्य

अज्ञानता या मोहवश यदि तुमसे कोई भी पापकृत्य हो जाए तो तुम उस पापकृत्य के लिए प्रसन्न मत बनो, उस पापकृत्य की अनुमोदना मत करो अपितु पश्चाताप करो। क्योंकि उस पश्चाताप में वह शक्ति है कि वह तुम्हारे द्वारा कृत पापों के बन्धनों को शिथिल कर सकती है, इतना ही नहीं अपितु वह तुम्हारी आत्मा को पापों से मुक्त भी कर सकती है। अगर तुमने किये हुए पापों के प्रति प्रसन्नता, अनुमोदना व्यक्त की तो उसके परिणामस्वरूप कर्मों के बन्धन शिथिल नहीं अपितु दृढ़ होंगे और वे दृढ़ बन्धन ही हमारे दुःखों के तथा भवभ्रमण के मुख्य कारण होंगे।

सर्वज्ञ, समदर्शी, चरम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी से राजा श्रेणिक ने जब स्वयं के नरकायुबन्धन का कारण-विषयक प्रश्न पूछा तो प्रभु ने उनके जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाई- देवानुप्रिय श्रेणिक? एक बार जब तुम जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ गये थे, तब तुमने भागती हुई एक हिरणी के तन पर पूरी शक्ति से तीर छोड़ा था। वह हिरणी उस तीर के प्रभाव से घायल होकर जमीन पर वैसे ही गिर पड़ी जैसे किसी डाली से टूटकर पत्ता गिरता है। हिरणी अपार वेदना से छटपटाने लगी व कुछ ही क्षणों में उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हिरणी उस समय गर्भवती थी। तुम्हारे द्वारा पूरी शक्ति से छोड़ा गया वह तीर हिरणी के पेट से स्थित बच्चे के कोमल तन का भी स्पर्श कर चुका था। इसी कारण से बच्चा तड़पता हुआ माँ के पेट से निकल कर वहीं मर गया।

इन दोनों जीवों की तड़पड़ाहट व छटपटाहट को देख तुम्हारे अनेक साथियों का मन करुणा भाव से भर गया, परन्तु श्रेणिक? जब तुमने इस बात को जाना तो तुम अपने इस पापमय कृत्य पर रोये नहीं अपितु अनुमोदना का भाव व्यक्त किया। उस समय तुमने अपने साथियों के बीच प्रसन्न बन कहा था- देखो? मेरे पराक्रम को। एक तीर से दो शिकार। कितना सही निशानेबाज हूं मैं? कवि ने कितना सुन्दर कहा है कि-

> *''रोहणाचल पर्वत की धरती को खोदते-खोदते अगर तुम उसकी गहराईयों में उतरोगे तो तुमको वहां हीरे मिलेंगे। सागर की अथाह गहराईयों में उतर कर तल में पहुंचोगे तो तुम्हें वहां हीरे मिलेंगे, उसी प्रकार के कर्मों की परतों को तोड़ते-तोड़ते जब तुम स्वयं की गहराई में प्रवेश करोगे तो चैतन्य स्वरूप आत्मा को पाओगे।''*
>
> – **''प्रेम सुविचार''**

हंस हंस बान्धता। यह नहीं जानता।।
उदय में आसी रे। नाच नचासी रे।।
बांधता है सोहिला। भोगता है दोहिला।।
भव भटकासी रे। नाच नचासी रे।।

अर्थात्-

हे मानव तू जब ऐसे पाप कर्म करता है (कर्म बान्धता) है, तो तुझे पाप कर्म से प्रसन्नता होती है तू हंसता है, मुस्कुराता है परन्तु हे मानव, याद रख कि जब तेरे पाप उदय में आएंगे तो तेरा भव भ्रमण बढ़ जायेगा। जब पाप कर्म करता है तो तुझे सोहिला अर्थात् प्यारे-प्यारे, अच्छे-अच्छे लगते हैं परन्तु जब पुण्य समाप्त हो जाता है, पाप कर्म उदय में आते हैं तब तू उनको भोगता है तो बड़ा दुखी होता है- जीव दोरा होता है। यही वे कर्म नाच नचाते हैं और ये ही चौरासी योनियों में भटकाते हैं इसी कारण जन्म मरण मिटता नहीं है।

बस, देवानुप्रिय श्रेणिक इसी पापकृत्य का अनुमोदन तुम्हारे नरकायुबन्धन का कारण है।

भाग्यशालियों? यदि श्रेणिक ने उस पापकृत्य पर प्रसन्नता व्यक्त न की होती या उस कृत्य के लिए पश्चाताप किया होता तो शायद भावी तीर्थंकर श्रेणिक के जीव को इस समय नरकवेदना न भोगनी पड़ती। सम्भवतः कुछ दूसरा ही परिणाम होता। अस्तु? इस कृत्य से आप यह शिक्षा ग्रहण करें कि पाप आत्मा के लिए बड़ा अहितकर है। इसका परिणाम दुःख है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो पाप से बचो। तुम स्वयं के हृदय का सदैव निरीक्षण कर यह जानते रहो कि अपने हृदय में कोई पाप का विचार तो पैदा नहीं हो गया। क्योंकि पाप का विचार ही पापकृत्य का मूल कारण है। अतः अन्तर्निरीक्षण करते हुए यदि तुम पापमय विचार को देखो तो उस विचार को वैसे ही निकाल दो जैसे कि माताएं, बहनें गेहूं बीनते हुए उसमें कंकर व कचरे को जब देखती हैं तो उसे बाहर निकाल कर फेंक देती हैं। माली जब स्वयं के बगीचे में उगे हुए किसी विषैले फलदायी पौधे को देखता है तो उसे जड़ समेत उखाड़ फैंकता है। बस इस पावन पवित्र भगवान महावीर स्वामी के जन्म-कल्याणक पर यह प्रतिज्ञा करें कि हम पाप भीरू बनेंगे। आज के पावन प्रसंग पर यह शपथ लें कि हमारे से आज के बाद कोई भी किसी प्रकार का भी पाप कार्य नहीं होगा।

विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के खिलाफ अभियान तेज

स्विट्जरलैंड से दस लोगों का ब्यौरा मांगा भारत ने

नई दिल्ली। विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड से कम से कम दस लोगों और इकाइयों का बैंकिंग ब्यौरा मांगा है। समझा जाता है कि इन लोगों ने अपना बेहिसाबी धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा किया है। इनमें दो सूचीबद्ध कपड़ा कंपनियां हैं जबकि अन्य कला संरक्षक और उसके कालीन निर्यात कारोबार से जुड़ी हैं।

स्विट्जरलैंड के कर विभाग ने इन लोगों को पिछले हफ्ते नोटिस जारी कर 30 दिन में जवाब देने को कहा है। ये इकाइयां 30 दिन में भारत के सूचना के आग्रह पर प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। अपने स्थानीय नियमों के तहत ऐसे मामलों में स्विट्जरलैंड सरकार दूसरे देश के साथ सूचना साझा करने से पहले संबंधित लोगों और इकाइयों को अपनी बात रखने का एक अंतिम अवसर देती। यदि ये नोट संबंधित बैंक या कर विभाग द्वारा सीधे नहीं पहुंचाए जा सकते हैं तो इन्हें गजट अधिसूचना के जरिए सार्वजनिक किया जाता है।

पिछले हफ्ते भारत से जुड़े लोगों और इकाइयों के सम्बन्ध में 10 नोटिस गजट में जारी किए। यह एक हफ्ते में किसी भी एक देश के मामले में सबसे ऊंचा आंकड़ा है।

इन नोटिसों में दो कपड़ा कंपनियों नियो कारपोरेशन इंटरनेशनल और एसईएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. का नाम शामिल है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियां ऐसी हैं जिनकी स्थापना कर पानाहगाह बनाना और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में की गई हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां और लोग कालीन निर्यात कारोबार और कला संरक्षक से जुड़े हैं जिनका परिचालन कई देशों में फैला है।

इनमें अब्दुल राशीद मीर, अमीर मीर, साबेहा मीर, मुंजीब मीर और तबस्सुम मीर शामिल हैं। इन नोटिसों में जो अन्य कंपनियां हैं, उनमें कॉटिज इंडस्ट्रीज एक्सपोनिशन, मॉडिल एसए और प्रोग्रेस वैचर्स ग्रुप शामिल हैं। इनमें कुछ नाम नीक पनामा दस्तावेजों में भी थे। लेकिन इन दो सूचीबद्ध कंपनियों के सहित अन्य ने किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। इससे पहले स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) नोटिस जारी इनमें से कुछ इकाइयों ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा था जिससे भारत को उनके बारे में सूचना साझा करने से पहले उनका पक्ष सुना जा सके।

स्थानीय कानून के अनुसार स्विट्जरलैंड संबंधित इकाई को उनकी सूचना साझा करने से पहले सूचना साझा करने को चुनौती देने का अधिकार देता है। भारत ने इससे पहले जिन लोगों या इकाइयों के बारे में सूचना मांगी थी उनमें कुछ सूचीबद्ध कंपनियां, रीयल एस्टेट कंपनी के पूर्व सीईओ, दिल्ली के एक पूर्व अधिकारी की पत्नी, दुबई स्थित भारतीय मूल के निवेश बैंकर, एक चर्चित भगोड़ा और उसकी पत्नी और यूएई की होल्डिंग कंपनी शामिल हैं।

सीबीआई से एयरसेल-मैक्सिस सौदे की जांच रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर की गई जांच की स्थिति के बारे में ब्यौरेवार रिपोर्ट देने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सौदे से जुड़ी मनी लांड्रिंग मामले में की जा रही अपनी जांच के बारे में एक स्थिति रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर तथा न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ को बंद लिफाफे में दी। मामले में सीबीआई की तरफ से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से अनुरोध कियया कि चूंकि महान्यायवादी मुकुल रोहतगी उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए।

इस पर पीठ ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिये टाल दी। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीठ से कहा कि उन्हें सीबीआई से जवाब मिल गया है जिसमें कहा गया है कि सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इसमें तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम द्वारा 2006 में सौदे को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी का पहलू भी शामिल है। स्वामी ने कहा कि सीबीआई को मामले में स्थिति रिपोर्ट देने के लिये कहा जाना चाहिए। उसके बाद पीठ ने मेहता से अगली सुनवाई की तारीख को स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। मेहता ने अदालत से कहा कि उन्हें स्थिति रिपोर्ट देने के लिए दो सप्ताह की जरूरत है। उसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई दो मई तक के लिये टाल दी।

बाद में न्यायालय के बाहर स्वामी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने कीर्ति चिदम्बरम के कथित विदेशी बैंक खातों में सौदे के लाभार्थियों द्वारा कथित तौर पर धन स्थानांतरित किये जाने के बारे में एजेंसियों को भी सूचना उपलब्ध कराई है। अपने आवेदन में स्वामी ने आरोप लगाया कि चिदम्बरम ने 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को अवैध तरीके से एफआईपीबी मंजूरी दिलायी थी। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने एफआईपीबी मंजूरी दी जबकि इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के पास जाना चाहिए था। सीसीईए के पास 600 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी निवेश की मंजूरी का अधिकार था। स्वामी ने कहा कि इस मामले में सौदा 3,500 करोड़ रुपये का था। एफआईपीबी मंजूरी तत्कालीन वित्त मंत्री ने दी।

84 के दंगे : सुप्रीम कोर्ट ने मांगी 199 फाइलें

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से 1984 के सिख विरोधी दंगों के उन 199 मामलों से जुड़ी फाइलों को उसके समक्ष रखने को कहा जिन्हें गृह मंत्रालय के बनाये गए विशेष जांच दल ने बंद करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इन 199 मामलों पर ध्यान देना चाहती है और पीठ ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर फाइलें रखने का निर्देश दिया। पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एम. सांतानागौदार भी हैं, ने कहा कि हम इन 199 मामलों पर ध्यान देना चाहते हैं जिनके सम्बन्ध में एसआईटी ने बंद करने का और इन मामलों में कोई अभियोजन शुरू नहीं करने का फैसला किया है। हम केन्द्र सरकार को इन 199 मामलों से सम्बन्धित फाइलों को तीन सप्ताह के अंदर रखने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता एच. गुरुनाद सिंह खालसा की तरफ से वरिष्ठ वकील अरविन्द दातार ने पीठ से कहा कि तीन सदस्यीय एसआईटी ने छानबीन के लिए दंगों से जुड़े कुल 293 मामलों को लिया था और पड़ताल के बाद इनमें से 199 को बंद करने का फैसला किया। सरकार के हलफनामे का जिक्र करते हुए खालसा ने कहा कि 35 मामलों में से 28 में प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है, वहीं बाकी सात एसआईटी के विचारार्थ लम्बित हैं। दातार ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक उसने 59 मामलों को आगे जांच के लिए लिया था जिनमें से उसने पड़ताल के बाद 42 को बंद करने का निर्णय किया। वहीं चार में आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 13 मामले विचाराधीन हैं।

मेरा भारत महान

कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और अत्याचारों पर राष्ट्र मौन क्यों?

जानिये विस्थापन की घाटी की वह काली रात

देश के राजनेता किसी भी छोटी सी घटना पर धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने लग जाते हैं किन्तु जब मामला कश्मीरी पंडितों का आता है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। घाटी में पाकिस्तान के झण्डे हों या आईएस के, उन्हें लहराने पर भी देश के तथाकथित बुद्धिजीवि, साहित्यकार, राजनेताओं द्वारा कभी भी एक शब्द नहीं कहा जाता। इसलिए मेरा भारत महान है। आप जरा इन पंडितों की व्यथा पर विचार तो कीजिये।

हम यह कहते हैं कि जो चला गया उसके लिए अपशब्द नहीं बोले जाते। शिष्टाचार यही कहता है कि किसी के जाने के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ना ठीक नहीं। लेकिन जब बात जुड़ी हो लाखों जनता, एक राज्य के भविष्य और देश के सम्मान से, तो बात कैसे न की जाए। किसी एक व्यक्तित्व से जब लाखों लोगों की पीड़ा जुड़ी हो तो चर्चा से तभी बचा जा सकता है, जब कुछ छिपाने की जरूरत पड़ गई हो। मुफ्ती मुहम्मद सईद नहीं रहे। अंग्रेजी में आरआईपी कह कर श्रद्धांजलि दी जाती है। आरआईपी मतलब रेस्ट इन पीस (भगवान आपकी आत्मा को शान्ति दे) कुछ बड़े नेताओं ने उन्हे जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के बीच का एक अहम लिंक कह कर श्रद्धांजलि दी। कुछ ने कहा कि वे अशांत घाटी के संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े बुजुर्ग का रोल अदा कर रहे थे। कुछ ने तो उन्हें सच्चे देशभक्त की उपाधि भी दी। सही, सब सही, लेकिन सच उन लोगों का भी है, जो 26 साल पहले 19-2 जनवरी की रात को घाटी में घटित हुआ। सच उन लाखों लोगों का भी है, जो आज भी अपने घर वापस जाने के लिए तड़प रहे हैं। सच उन लोगों का है, जो अपने ही देश में शरणार्थी बन कर रह रहे हैं। राज्य में उस अल्पसंख्यक समुदाय ने लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति छोड़कर अपने मान-सम्मान को बचाना बेहतर समझा क्योंकि उनकी रक्षा देश के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद नहीं कर पाए। उनके कार्यकाल दो दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 199 के दौरान इतना घटित हुआ कि लाखों लोगों का घर संसार नष्ट हुआ। कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादियों की ही चलने लगी। शासन-प्रशासन नदारद था। पुलिस में आतंकवादियों ने सेंध लगा दी थी। यहां तक कि पुलिस में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। 1989-9 में जब मुफ्ती देश के गृहमंत्री थे, तब डाक्टर फारुक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान 7 खूंखार आतंकवादी रिहा किए गए। घाटी में कश्मीरी पंडितों को चुन-चुन कर मारा जा रहा था। अल्पसंख्यकों के घरों, मंदिरों और संस्थानों पर पत्थरबाजी कर भय का माहौल बना दिया गया। आठ दिसम्बर, 1989 को कहा गया कि मुफ्ती की बेटी रूबिया सईद अगवा हो गई है। आतंकवादियों ने शर्त रखी की रूबिया के बदले पांच आतंकवादी रिहा किए जाएं। वही हुआ। गृह मंत्री मुफ्ती ने आतंकवादी छुड़वा दिए। गृह मंत्री की बेटी अगवा होती है, और न आरोपित का पता चलता है और न ही गवाहों का। आज भी घाटी में दबे स्वर में उस घटना पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ तो यह भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। तो सच क्या है? जवाब कुछ भी हो पर रूबिया के बदले आतंकवादियों को छोड़ा जाना देश का काफी महंगा पड़ा। इस घटना के बाद तो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हमलों में तेजी आई। यासीन मलिक तो खुद ही बंदूक लेकर अल्पसंख्यकों और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे और फिर 19-2 जनवरी की वो मनहूस रात आई। इस रात से पहले जगमोहन ने कुछ ही घंटों पहले राज्य का राज्यपाल पद संभाला था। फारूक और मुफ्ती के कार्यकालों में कश्मीर अब पूरी तरह से आतंकवादियों के चंगुल में फंस गया था। आतंकवादियों और अलगाववादियों की योजना थी कि 26 जनवरी को घाटी को स्वतंत्र घोषित किया जाए। कई विदेशी पत्रकारों को घाटी में चुपके से बुलाया गया था और इसी योजना का हिस्सा थी 19-2 जनवरी की वह काली रात। दुनिया आज आईएसआईएस और तालिबान के आतंक की कहानियों से दहला उठती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ तो यह सब 26 साल पहले ही हुआ है। निराशा इसलिए देश ने उनकी पीड़ा को भुला दिया है। आज तक उनको न्याय नहीं मिला। उस रात घटनाक्रम 1 बजे के बाद शुरू हुआ। हजारों लाउडस्पीकर एक साथ बज उठे। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों से भारत विरोधी नारेबाजी से शुरूआत हुई। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नारेबाजी पूरी घाटी में गूंजने लगी। लोगों को सड़कों पर उतर आने को कहा गया। पत्थरबाजी करने को कहा गया। हिन्दुओं को निशाना बनाने को कहा गया, लाखों की तादात में लोग सड़कों पर आ गए। वही करने लगे जो लाउडस्पीकरों से बोला जा रहा था। यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा, यहां होगा पाकिस्तान, कश्मीर लेंगे बिना पंडितों के पर पंडितानियों के साथ, काफिरों को मार डालो, हिन्दुस्तानियों को मार डालो जैसे उद्घोष स्वर पूरी घाटी में गूंज रहे थे। ज्यादातर फोन लाइंस अचानक बंद पड़ गई थीं। प्रशासन और पुलिस कहीं नहीं थे। लग रहा था कि सरकार ने अल्पसंख्यक पंडितों और अन्य हिन्दुओं का साथ छोड़ दिया था। कई पंडित परिवारों ने तो अपनी बेटियों को कैसे भी छिपा लिया था, तो कुछ तो मारने के लिए तैयार भी हुए थे। कुछ पंडितों को घरों से निकाला गया। मारा पीटा गया। पंडितों के घरों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए- वे चले जाएं वरना हत्या की जाएगी। स्थानीय उर्दू अखबारों में धमकी भरे संदेश छापे जा रहे थे कि या तो पलायन करें या मिल जाएं। पंडित समुदाय के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हत्या की गई। उस रात के घटनाक्रम ने ऐसा भय भर दिया कि सम्मान की रक्षा के लिए पलायन करना ही एकमात्र विकल्प रह गया था। बहुसंख्यक मुस्लिम घाटी में कुछ लाख हिन्दू पूरी घाटी में बिखरे थे। पंडित समुदाय शांतिप्रिय, पढ़ाई-लिखाई और अपने धार्मिक कार्यकलाप में विश्वास रखने वाला समुदाय है। पंडित घरों में किचन में रखे गए छोटे से चाकू के सिवाय और कोई हथियार नहीं था। ऐसे में वे उग्र भीड़ का सामना कैसे कर पाते। 19 जनवरी को ही राज्यपाल जगमोहन ने जम्मू में कार्यभार संभाला था। जब घाटी में सड़कों पर भय का तांडव रचा जा रहा था तो कुछ पंडितों को पलायन करने का मौका मिला। पलायन के 26 साल बाद भी उस रात की घटना का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का वो कार्यकाल घाटी को विभाजित कर गया। घाटी में हिन्दू पलायन कर चुके थे। देश में कहीं भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होती है, तो आयोग और जांच दल बनाए जाते हैं लेकिन 5 लाख लोग पलायन करते हैं, हजारों अल्पसंख्यकों को चुन-चुन कर मारा जाता है तो इतने साल में जांच आयोग क्यों नहीं बना? आज तक किसी सरकार ने सच सामने लाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या सच इतना कड़वा है कि सबने आंख मूंद ली हैं। वे लेखक, बुद्धिजीवी और सिविल सोसायटी के सदस्य क्यों इसको असहनशीलता नहीं मानते? क्या यह साम्प्रदायिकता नहीं थी? क्या मुफ्ती की बेटी का अगवा होना और घाटी से कश्मीरी हिन्दुओं का जबरन पलायन कराने किसी रणनीति का हिस्सा था? सवाल कई हैं, पर जवाब आज भी कहीं नहीं है। मुफ्ती अपने साथ ऐसे कई रहस्य लेकर चले गए।

-सुश्री भान (कश्मीर मूल की पत्रकार)

कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों में नहीं दिखती असहिष्णुता : अनुपम

जयपुर। अभिनेता अनुपम खेर का कहना है कि चन्द लोग आज भी देश में असहिष्णुता की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे कहीं असहिष्णुता नजर नहीं आती है वैसे जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ और उन्हें न्याय नहीं मिलता तो लोग क्यों खामोश हो जाते हैं? अवार्ड लौटाने वाले और असहिष्णुता का राग अलापने वाले लोग उस समय क्यों नहीं बोलते हैं क्या उन्हें तब असहिष्णुता नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम सबसे पहले हिन्दुस्तानी हैं।

अब किस बात पर उत्सव मनाएं?

वेद व्यास

राजस्थान इस महान देश का एक ऐसा सुख-शांति और वैभवपूर्ण प्रदेश है जो 30 मार्च 1949 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर कमलों से स्थापित हुआ था और राजा-रजवाड़ों से मुक्त होकर लोकतंत्र की गंगा में नहाया था। तब से लेकर अब तक इस राजस्थान की विशेषता ये मानी जाती है कि यहां सरकार ही चारों तरफ सक्रिय दिखाई देती है लेकिन आम जनता अपने धीरज और धर्म-कर्म से ही अपने सुख-दुख का निवारण करती है। यहां सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक हलचल का कोई अभियान अथवा आन्दोलन अथवा कोई सामूहिक जन जागरण कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। संतोषी माता और सुन्दर काण्ड का पाठ-पूजा यहां कुछ इस तरह जनता के मन में समाया हुआ है कि आधी समस्या तो पुलिस और प्रशासन निपटा देता है तो आधी पेशेवर जन संचार के विभिन्न माध्यम प्रचार के बल पर सुलटा देते हैं। यहां राज और राम को चुनौती देने वाला कोई सती और सूरमा अब नहीं है क्योंकि जाति-धर्म की पहचान और वंशावलियों के अलावा अपना कोई इतिहास-भूगोल आम जनता ने याद नहीं रखा है। चारों तरफ सब खैरियत है और इसलिए सरकार उत्सव मनाती है और जनता मुफ्त में आनंद लेती है।

मैं भी पिछले 68 साल से इस बदलते और गिरते-पड़ते और फिर उठकर चलते राजस्थान को देख रहा हूं और मानता हूं कि स्वतंत्रता आने के और सामन्तवाद जाने के बाद यहां बहुत विकास हुआ है और जमीनी सुख-सुविधाओं का परिवर्तन आया है लेकिन दुख इस बात का है कि ग्रामसभा से लेकर लोकसभा तक और जनपथ से लेकर राजपथ तक इस राजस्थान की कोई विशिष्ठ पहचान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक हैसियत देश के किसी भी क्षेत्र में नहीं बनी है तथा हम केवल पर्यटन और मनोरंजन की अन्तरराष्ट्रीय इन्द्रसभा में अग्रणी मान लिये गये हैं। मीरा और महाराणा प्रताप के आगे और अजमेर के ख्वाजा की दरगाह और पुष्कर स्नान के अलावा यहां किसी का कोई नाम धर्म ही नहीं है? यानि कि नये राजस्थान में जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित पंचायतीराज और इन्दिरा गांधी द्वारा पोकरण का प्रथम परमाणु विस्फोट ही आज हमारी यादों में बैठा है और रेगिस्तान भी सांस्कृतिक और

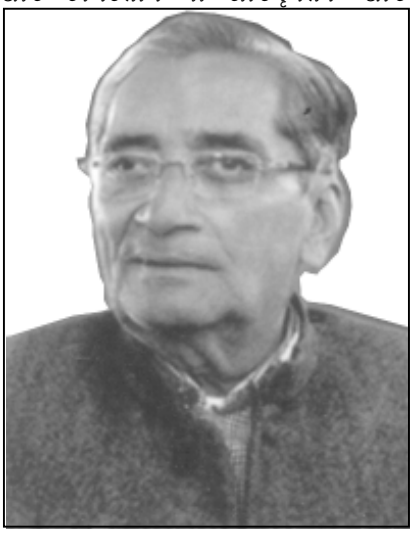

आदिवासियों की लोक चेतना आज की युवा पीढ़ी की स्मृतियों से ओझल है।

अब राजस्थान दिवस का उत्सव जब राजधानी की स्मार्ट सिटी का मनोरंजन हो गया है तब मैं सोचता हूं कि इस आत्मगौरव के दिन को किस तरह मनाऊं और बताऊं कि ये राजस्थान अपने को भूल गया है और जन संस्कृति और अपने भाषा-साहित्य को पूरी तरह अनदेखा कर रहा है। ये प्रदेश पिछले कोई 60 साल से राजस्थानी भाषा की संविधानिक मान्यता को तरस रहा है तो दूसरी तरफ सभी अकादमियां और सभी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान बंद करके बैठा है। यहां तक कि प्रदेश का कोई 44 विश्वविद्यालयों में राजस्थान की सांस्कृतिक, प्रकृति, पर्यावरण, खनिज, खेती और विकास तथा अध्ययन का कोई एक काम नहीं हो रहा है। राजस्थान की बौद्धिक सम्पदा को लेकर प्रदेश का अपना कोई शोध-अनुसंधान नहीं है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रदेश केवल अब महिला उत्पीड़न और दलित आदिवासी की उपेक्षा और अत्याचार के लिये ही जाना जाता है। फिर भी कुदरत से चम्बल बह रही है और विकास पुरुषोंसे सवाल कर रही है कि आखिर मैं किस बात पर गर्व करूं, क्योंकि यहां तो आज तक कोई औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास का एक ढ़ांचा भी पिछले 70 साल में नहीं बन पाया है। मेक इन राजस्थान जैसा कोई एक उदाहरण यदि हो तो कोई हमें बताये?

हमें अक्सर विधानसभा की बहसों को सुनकर भी ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस, चिकित्सा, विश्वविद्यालय, नगर विकास संस्थान और पानी-बिजली का रोना-धोना ही इस प्रदेश में सभी समस्याओं की जन्मभूमि है और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। 1990 के बाद तो राजस्थान में भी भूमण्डलीकरण की ऐसी आंधी चल रही है कि बेरोजगारी और अपराध की रोकथाम का कोई असरदार उपाय ही समाज और सरकार को नहीं सूझ रहा है? भला ऐसे असुरक्षित माहौल में भी यदि कोई उत्सव मनाता है तो ये उनकी अपनी समझ है लेकिन प्रदेश की आठ करोड़ की आबादी आज भी ये महसूस करती है कि चुप रहने में ही फायदा है और बरात में घोड़ी के पीछे चलने का ही सनातन कायदा है।

राजस्थान को लेकर एक दिन आखिर कोई अब ये भी तो सोचे कि राजकीय उत्सव को लोक उत्सव में कैसे बदला जाये और राज्य के हजारों गांवों की हजारों पंचायतों तक विकास और परिवर्तन की मशाल को एक आत्मगौरव का अवसर कैसे बनाया जाये क्योंकि अभी हमने मांगणियार लंगाओं और कालबेलिया नृत्य-संगीत के आगे कुछ देखा-सुना और समझा ही नहीं है? संस्कृति पर राजनीति का अंधेरा अब कुछ इतना गहरा हो गया है कि राजा राज कर रहा है और जनता पानी भर रही है। आत्मगौरव को खोजने और स्थापित करने का कोई उत्साह आज इस प्रदेश में नहीं है और राजस्थान की मानसिकता अब ये बन गई है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। आस्था के प्रदेश में सवाल पूछना भी तो एक अपराध है।

शराबबंदी को रोजगार की आजादी के खिलाफ बताने वालों को सुप्रीम कोर्ट का जवाब, व्यापारिक हित से पहले आता है जीवन का अधिकार

शराब का कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं

नई दिल्ली। शराब का कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं है। रोजगार की आजादी का अधिकार शराब के कारोबार पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह संवैधानिक सिद्धान्त में व्यापार की श्रेणी से बाहर है। इसके अलावा रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार के बाद आता है। हाईवे पर वालों के लिए यह कानूनी जवाब हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर शराब की बिक्री के नुकसानदेह पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना है। अधिकार के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया। कहा कि एक तरफ लोगों को शराबी वाहन चालकों से बचाने की जरूरत है, तो दूसरी ओर शराब कारोबार के व्यापारिक हित हैं। इसमें दूसरा हित पहले के बाद आएगा। यानी पहले जीवन का अधिकार और उसके बाद रोजगार का अधिकार

रोजगार की आजादी का अधिकार शराब कारोबार पर लागू नहीं होता है। शराब का कारोबार संवैधानिक सिद्धान्त में व्यापार की श्रेणी से बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट

राज्य सरकार का विशेषाधिकार

- कोर्ट ने कहा कि शराब की दुकान का लाइसेंस देने का राज्य सरकार को विशेष अधिकार दिया गया है।
- कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि शराब की दुकान का लाइसेंस पाना उसका अधिकार है।
- इसके अलावा शराब की दुकानों की कुछ संस्थाओं से निश्चित दूरी जरूरी है।
- यह तय करना राज्य सरकार का अधिकार है कि वह नियमों के तहत लाइसेंस देगी कि नहीं।

राजमार्गों पर नजर रखने को आबकारी विभाग ने बनाईं टीमें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तामील कराने के लिए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक दर्जन टीमें गठित की हैं। ये टीमें राजमार्गों पर नजर रख रही हैं। आबकारी विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी तक कहीं से शिकायत नहीं आई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों को मिलाकर दिल्ली में 100 से अधिक शराब की दुकानों व बीयर बार पर ताला लगाया गया है। आबकारी विभाग के सूत्रों के मुताबिक अदालत का आदेश आने के बाद 31 मार्च और 1 अप्रैल वाली रात से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। दुकानों और बार के लाइसेंस 31 मार्च तक के लिए होते हैं। उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था। ऐसे में वे स्वत: ही बंद थे। मगर सतर्कता बरतते हुए बीयर बार संचालकों को उसी रात से नोटिस दिए गए थे। सुबह के समय दुकानों के संचालकों को भी नोटिस दे दिए थे। दुकानों व बीयर बारों से हटाई जा रही शराब पर आबकारी विभाग विशेष नजर रख रहा है। बीयर बार आदि के गोदाम सीज किए गए हैं।

विभाग की निगरानी में ही शराब को वहां से हटाया जाएगा। कुछ स्थानों पर यह कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आबकारी विभाग का कहना है कि उनके पास इस बात का आकलन नहीं है कि इन दुकानों के बंद होने से शराब की बिक्री पर कितना असर पड़ेगा। मगर इन दुकानों की बिक्री अच्छी रही है।

पांच सौ मीटर के दायरे से शराब की दुकानें हटाने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और रोजगार के अधिकार की व्याख्या करते हुए यह बात कही है।

कोर्ट की इस व्याख्या के गहरे मायने हैं। शराबबंदी को गैरकानूनी और रोजगार की आजादी के खिलाफ कहने संवैधानिक मूल्यों में जीवन के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना जीवन के अधिकार को संरक्षित करने का एक जरिया है।

कोर्ट ने जीवन के अधिकार और रोजगार के मौलिक आएगा। कोर्ट ने कहा कि हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानों पर रोक का आदेश देकर हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। न ही कानून बनाने का प्रयास किया है। कोर्ट ने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया है।

सांसदों को दूसरा पेशा अपनाने से नहीं रोक सकते : सुप्रीम कोर्ट

अधिवक्ता और भाजपा प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को दूसरा पेशा अपनाने से रोकने के लिए नीति तय करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इस सम्बन्ध में नीति बनाना या निर्देश देना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि, पीठ ने माना कि याची ने उचित बिन्दु को उठाया है।

पेशे से अधिवक्ता और भाजपा प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर सांसदों को दूसरा पेशा अपनाने से रोकने के लिए नीति बनाने का अनुरोध किया था। पीठ ने कहा कि अर्जी में किया गया अनुरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे में रिट याचिका को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने माना कि अर्जी में उठाया गया बिन्दु सही है, इसके बावजूद कोर्ट नीति नहीं बना सकती। पीठ ने टिप्पणी की कि कई डॉक्टर हैं जो आईएएस अधिकारी बने और इंजीनियर राजनयिक बने। आपका (याची) भी राजनीतिक जुड़ाव है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जजों व नौकरशाहों के दूसरा पेशा अपनाने पर लगी रोक सांसदों पर भी लागू होनी चाहिए।

संविधान के प्रावधानों को समय के साथ बदलकर निर्णय देना ही न्यायिक सक्रियता : न्यायाधीश शर्मा

जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शनिवार को आरयू शिक्षक संघ (रुटा) और ऑल राजस्थान यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ (एस्टा) की ओर से सेमिनार हुई।

मुख्य अतिथि न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने न्यायिक सक्रियता की व्याख्या करते हुए बताया कि न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन करना, बनाई गई विधि को अवैधानिक ठहराना तथा संविधान के प्रावधानों की पूर्व व्याख्या को समय के साथ बदलकर निर्णय देना ही न्यायिक सक्रियता है। रुटा अध्यक्ष डॉ. जयन्त सिंह तथा एस्टा अध्यक्ष डॉ. बी.डी. रावत ने बताया कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विधायक मोहन लाल गुप्ता व अध्यक्षता वरिष्ठ एडवोकेट एन.एम. सांका ने की।

हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति पर सरकार का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को व्यापक बनाने के सरकार के प्रस्ताव को संभवत: खारिज कर दिया है। 'विचार-विमर्श के दायरे' को व्यापक बनाने से जुड़ा प्रावधान उस प्रक्रिया संहिता (एमओपी) का हिस्सा था जिसे पिछले साल सरकार ने कोलेजियम को भेजा था लेकिन अपने हालिया जवाब में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने इस प्रावधान को नकार दिया है।

सरकार चाहती थी कि एमओपी में कहा जाए कि उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश, कुछ वरिष्ठ वकील और सम्बन्धित राज्यों के महाधिवक्ता पीठ में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम को उम्मीदवारों के नाम सुझाएंगे लेकिन कोलेजियम की आम राय थी कि उम्मीदवारों को नामित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के कोलेजियम के पास ही रहे, इससे बाहर नहीं जाए।

पिछले साल जनवरी से ही सरकार और शीर्ष न्यायालय एमओपी को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रही है। एमओपी उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्देशित करने का दस्तावेज है। एमओपी दो तरह की होती है। एक उच्चतम न्यायालय के लिए और दूसरी देश के 24 उच्च न्यायालयों के लिए।

राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय एमओपी के पुनरीक्षण पर सहमत हुआ था, ताकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके।

एनजेएसी कानून के जरिए न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाली दो दशक पुरानी कोलेजियम प्रणाली को बदलने की कोशिश की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भी भूमिका तय करने का प्रयास किया गया था।

क्या हम पुलिस व्यवस्था में सुधार चाहते हैं?

1. जांच एजेंसियां पूर्णतया स्वतंत्र होनी चाहिए जैसे न्यायपालिका या चुनाव आयोग।
2. जांच अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता एल.एल.बी. होनी चाहिए।
3. गिरफ्तारी से पूर्व सबूत जुटाने चाहिए।
4. चार्जशीट फाइल करने से पहले मुख्य गवाहों के बयान सशपथ न्यायालय में होने चाहिए।
5. झूठे शपथ पत्र एवं झूठे मुकदमे दर्ज करने वालों पर धारा 181 के तहत उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
6. जांच अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए।
7. चार्जशीट से पहले उभय पक्षों के मध्य उच्च स्तर पर बहस होनी चाहिए।
8. गलत गिरफ्तारी तथा न्यायिक अभिरक्षा में रखने का मुआवजा/दण्ड निर्णय में ही सुनाया जाना चाहिए और उसकी वसूली जांच अधिकारी से की जानी चाहिए।
9. साधारण मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए तथा उचित मुचलकों पर अभियुक्त को बेल मिलनी चाहिए।
10. न्यायिक अभिरक्षा न्यायिक संरक्षण में होनी चाहिए न की जेल अधिकारियों के।
12. पुलिस का जांचतंत्र एवं सतर्कता दोनों अलग होने चाहिए।

देशवासी गंभीरता से विचार कर आत्मचिंतन करें

1. क्या हम वास्तव में आजाद हैं?
2. क्या देश में कानून का शासन है?
3. अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कैसे होगा तय?
4. आखिर यह धर्मनिरपेक्षता क्या है? इस राष्ट्र में साम्प्रदायिक कौन है?
5. क्या देश को धर्म, जाति, सम्प्रदाय व भाषा के नाम पर बांटा जाना गंभीर विषय नहीं है? और यह राष्ट्र के लिए कितना घातक होगा इसकी कल्पना की जा रही है?
6. धनवान और धनवान, क्रीमीलेयर को आरक्षण क्या इससे राष्ट्र सम्पन्न मान लिया जावे?
7. कब तक हम लोकसेवकों को वीआईपी और अपने आपको याचक (भिखारी) समझते रहेंगे?
8. क्यों नहीं होना चाहिए सबके लिए समान कानून?
9. कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापित होने पर क्यों है सम्पूर्ण राष्ट्र मौन?
10. देश के मुसलमान कश्मीर में धारा 370 का क्यों कर रहे हैं समर्थन?
11. आतंकवादियों को पनाह देने वाले कैसे माने जा रहे हैं धर्मनिरपेक्ष?
12. जेलें क्यों बन रही हैं अपराध ट्रेनिंग सेंटर?
13. क्यों वर्षों वर्षों तक न्याय के लिए हम भटकने को मजबूर हैं? क्यों न हो न्यायपालिका इसके लिए जवाबदेह?
14. भ्रष्टाचार एवम् घोटालों के विरूद्ध क्यों नहीं उठ रही आवाज?
15. संसाधनों के अभाव का तर्क देकर कब तक आम नागरिकों के मानवाधिकारों का होता रहेगा हनन? इन पर कीजिए मनन।

क्या उपरोक्त प्रश्न हमें यह अहसास कराते हैं कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं?

जस्टिस नन्द्राजोग ने ली मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ

जयपुर। राज्यपाल कल्याण सिंह ने रविवार को राजभवन में न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।

राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के आरंभ में मुख्य सचिव ओ.पी. मीना ने राष्ट्रपति की ओर से न्यायाधीश प्रदीप का नियुक्ति वारंट पढ़कर सुनाया। इसके बाद राज्यपाल सिंह ने नगेन्द्राजोग को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, मंत्रीमंडल के सदस्यगण, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, अभिभाषकगण सहित न्यायाधिपति नन्द्राजोग के परिवारजन भी उपस्थित थे। सीजे नन्द्राजोग का जन्म 24 फरवरी 1958 को हुआ था। सन् 1978 में स्नातक करने के बाद 1981 में नन्द्राजोग ने एलएलबी की डिग्री हासिल की। एक वकील के तौर पर नन्द्राजोग ने छह साल तक दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दो साल तक इलेक्शन कमीशन के लिए वकालत की। वहीं 2 दिसम्बर 22 को इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 16 अप्रैल 24 को इन्हें स्थाई न्यायाधीश बनाया गया।

मुझे काम पर भेजो वरना अगली बार नहीं आऊंगा

नई दिल्ली। अवमानना मामले का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सी.एस. कर्णन ने उच्चतम न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए और काम पर वापस भेजने की मांग की, जिसे शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया।

व्यक्तिगत तौर पर अब तक पेश नहीं होने के कारण जस्टिस कर्णन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। वह मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष पेश हुए और उन्हें काम पर वापस भेजे जाने की मांग की। न्यायमूर्ति कर्णन ने कहा, 'मुझे काम पर वापस भेजा जाए, वर्ना मैं अगली बार अदालत के समक्ष पेश नहीं होऊंगा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ।' अदालत में उन्होंने अपना पक्ष स्वयं रखा, लेकिन उनके हावभाव और बहस के अंदाज को लेकर संविधान पीठ ने सवाल खड़े किये। न्यायमूर्ति खेहर ने पूछा कि क्या वह मामले की गंभीरता को समझने के लिए मानसिक तौर पर ठीक हैं। उन्होंने कहा, 'यदि हो, तो आप चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखाएं। आरोपी न्यायाधीश ने किसी तरह के पश्चाताप से इनकार करते हुए उन्हें काम पर वापस भेजने का अदालत से अनुरोध किया, लेकिन संविधान पीठ नहीं मानी। इस पर न्यायमूर्ति कर्णन ने कहा कि वह जेल जाने को तैयार हैं और वह अगली बार से पीठ के समक्ष पेश नहीं होंगे।

संविधान पीठ ने 25 मार्च के एक पत्र का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति कर्णन से पूछा कि क्या वह माफीनामा देना चाहते हैं। पीठ ने कहा, 'यदि आप माफीनामा देंगे तो यह मामला अलग दिशा में मुड़ जायेगा, माफी नहीं मांगने पर आपके खिलाफ मुकद्दमा चलेगा।' उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वह मौखिक या लिखित में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई मद्रास उच्च न्यायालय में जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है न कि किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध।

न्यायमूर्ति कर्णन को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर कामकाज करने से रोका गया है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से कहा, 'यदि आप मुझे शऊर में लाना चाहते हैं तो काम पर वापस भेजिए।' आरोपी न्यायाधीश ने कहा कि वह यह साबित कर सकते हैं कि उनकी लड़ाई न्यायपालिका के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है।

अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाए अदालत

नैशविल (अमेरिका)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है जिसमें अदालत ने उनके द्वारा शरणार्थियों और छह मुस्लिम बहुल देशों पर लगाये संशोधित अस्थायी यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने कहा कि अदालत इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है। हवाई की अदालत के फैसले के बाद नैशविल में रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि संविधान में कानून ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह देश के राष्ट्रीय हित में आव्रजन को निलम्बित कर सकता है। उत्साहित भीड़ से उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन मामले के लिए शीर्ष अदालत सहित हर जरूरी मंच पर लड़ेगा और हम इसमें जीत हासिल करेंगे।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल
न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
7.	श्री विष्णुकांत शर्मा	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.
ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।